राजस्थान सरकार
उच्च शिक्षा (ग्रुप–3) विभाग

ईमेल- higheredu3@rajasthan.gov.in दूरभाष-0141-5153222ए 5153223ए 5153660 (आई.पी.नं.24870)

क्रमांक प. 6(5)शिक्षा/ग्रुप–3/2022 जयपुर, दिनांकः– 15.03.2022

–: आदेश :–

माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा वर्ष 2022–23 में की गई बजट घोषणा के बिन्दु संख्या–31.1.0 से 31.19.0 की अनुपालना में निम्नलिखित 36 नवीन राजकीय कन्या महाविद्यालय खोले जाने की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निम्नांकित शर्तों के अध्यधीन एतदद्वारा प्रदान की जाती है :–

क्र.सं.	स्थान	जिला	क्र.सं.	स्थान	जिला
1.	ब्यावर	अजमेर	19.	चाकसू	जयपुर
2.	किशनगढ		20.	गोविंदगढ़(चौमू)	
3.	नसीराबाद		21.	बांसखोह (बस्सी)	
4.	बड़ौद (बहरोड़)	अलवर	22.	सांगानेर	
5.	किशनगढ़बास		23.	विद्याधरनगर	
6.	राजगढ़		24	खेतड़ी	झुंझुनूं
7.	कुशलगढ	बांसवाड़ा	25.	गुढ़ा (उदयपुरवाटी)	
8.	अटरू	बारां	26.	मुकुन्दगढ़	
9.	बायतू	बाड़मेर	27.	सेखाला (शेरगढ़),	जोधपुर
10.	कोलायत	बीकानेर	28.	भोपालगढ़	
11.	गुलाबपुरा	भीलवाड़ा	29.	रामपुरा	कोटा
12.	मंडावरी (लालसोट)	दौसा	30.	कुचामन सिटी	नागौर
13.	सैंथल		31.	जोजावर (मारवाड़ जंक्शन)	पाली
14.	लवाण		32.	भीम	राजसमंद
15	महवा		33.	वजीरपुर	सवाईमाधोपुर
16.	पीपला	भरतपुर	34.	गंगापुर सिटी	
17.	उच्चैन (नदबई)		35.	दत्तवास(निवाई)	टोंक
18.	सांडवा(बीदासर)	चूरू	36.	अलीगढ़ (उनियारा)	

(1) उपरोक्त 36 नवीन राजकीय कन्या महाविद्यालयों में प्रत्येक महाविद्यालय में कला संकाय (02 वर्ग) खोले जाने हेतु मांग संख्या–24 बजट मद– 2202–03–103–03–00 में निम्नानुसार पदों (शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक वर्ग) के सृजन की स्वीकृति प्रदान की जाती है:–

क्र.सं.	पदनाम	प्रति महाविद्यालय पदों की संख्या	कुल स्वीकृत पदों की संख्या
1.	प्राचार्य	01	36
2.	सहायक आचार्य	07	252
3.	पुस्तकालयाध्यक्ष	01	36
4.	शारीरिक शिक्षक	01	36
5.	सहायक लेखाधिकारी–I	01	36
6.	अति. प्रशासनिक अधिकारी	01	36
7.	आशुलिपिक	01	36
8.	वरिष्ठ सहायक	01	36
9.	कनिष्ठ सहायक	02	72
10.	प्रयोगशाला सहायक	01	36
11.	प्रयोगशाला वाहक	01	36
12.	बुक लिफ्टर	01	36
13.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	02	72
	कुल योग	21	756

(i) उपर्युक्तानुसार प्रत्येक महाविद्यालय में शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक वर्ग में 21 पदों के सृजन की स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि आयुक्तालय नवीन महाविद्यालयों के संचालन हेतु एक सोसाइटी का गठन करेगा जो चिकित्सा महाविद्यालयों के संचालन हेतु गठित राजमेस सोसाइटी की तर्ज पर गठित की जावें। नवीन राजकीय महाविद्यालयों हेतु आवश्यक पद इस सोसाइटी के अधीन रहेंगे।

(ii) सोसाइटी के गठन होने तक नवीन महाविद्यालयों में विद्या संबंल मॉडल पर विषय विशेषज्ञ अनुभवी व्यक्तियों को गेस्ट फेकल्टी के रूप में/विद्यमान नियमित कार्मिकों को आवश्यकतानुसार लगाया जा सकेगा। साथ ही प्रयोगशाला वाहक, बुक लिफ्टर, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पदों पर नियमित/सोसाइटी के माध्यम से कार्मिक उपलब्ध नहीं होने तक इन पदों पर रेक्सको से/सेवानिवृत्त कार्मिक रखे जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

कृ.पृ.उ.

(2) वेतनादि एवं महाविद्यालयों के संचालन हेतु प्रस्तावित आवर्तक / अनावर्तक व्यय राशि रू. 6906.60 लाख के अतिरिक्त बजट प्रावधान के प्रस्ताव के संबंध में आयुक्तालय को वित्तीय वर्ष 2022–23 में उपलब्ध बजट प्रावधान का उपयोग करने एवं आवश्यकतानुसार वांछित प्रस्ताव यथा समय प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें।

(3) साथ ही उक्त नवीन महाविद्यालयों के भवन निर्माण के लिए प्रति महाविद्यालय राशि रूपये 4.50 करोड़ के व्यय किये जाने की स्वीकृति एतद्द्वारा प्रदान की जाती है। आयुक्तालय भवन निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2022–23 में उपलब्ध बजट प्रावधान का उपयोग करने एवं आवश्यकतानुसार वांछित प्रस्ताव यथा समय प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें।

यह स्वीकृति वित्त (व्यय–1) विभाग की आई.डी. संख्या 102201485 दिनांक 15.03.2022 से प्राप्त सहमति के आधार पर जारी की जाती है।

राज्यपाल की आज्ञा से,
(संजय कुमार)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. महालेखाकार लेखा एवं हक, राजस्थान, जयपुर।
2. संयुक्त सचिव (जीबी), माननीय मुख्यमंत्री।
3. विशिष्ट सहायक, माननीय उच्च शिक्षा मंत्री।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग।
5. संयुक्त शासन सचिव वित्त (व्यय–1) विभाग।
6. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (बजट) विभाग।
7. संयुक्त शासन सचिव, आयोजना (जनशक्ति) विभाग।
8. संयुक्त सचिव, शिक्षा (ग्रुप–4) विभाग।
9. आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
10. सम्बन्धित कुल सचिव, विश्वविद्यालय, राजस्थान द्वारा आयुक्त, कॉलेज शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
11. वित्तीय सलाहकार, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
12. सम्बन्धित राजकीय महाविद्यालय, राजस्थान द्वारा आयुक्त, कॉलेज शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
13. रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव

आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक एफ 20 (101/02)/आयो/आकाशि/2022–23/109 दिनांक: 22/3/2022

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1 महालेखाकार, लेखा एव हक, राजस्थान, जयपुर।
2 संयुक्त सचिव,(जी बी)माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय, राजस्थान, जयपुर।
3 निजी सचिव, माननीय उच्च शिक्षा मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4\. निजी सचिव शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5 निज़ी सचिव, आयुक्त, कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर।
6 संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय–1) विभाग, राजस्थान,जयपुर।
6 निदेशक, वित्त (बजट) विभाग, राजस्थान,जयपुर।
7 संयुक्त शासन सचिव, आयोजना (जनशक्ति) विभाग,राजस्थान,जयपुर।
8 शासन उप सचिव, उच्च शिक्षा (ग्रुप–3) विभाग, जयपुर।
9 संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा (ग्रुप–4) विभाग, जयपुर।
10 कुल सचिव, संबधित विश्वविद्यालय, राजस्थान।
11 वित्तीय सलाहकार, कॉलेज शिक्षा राजस्थान,जयपुर।
13 संयुक्त निदेशक (अकादमी / प्रशासन / एच आर डी)कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर।
14 प्राचार्य / नोडल अधिकारी संबधित राजकीय महाविद्यालय।
15 वेब प्रभारी, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान,जयपुर को भेजकर लेख है कि विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने बाबत।
16 रक्षित पत्रावली।

(डॉ दीपाली भार्गव)
संयुक्त निदेशक (आयोजना)
कॉलेज शिक्षा,राज.जयपुर